

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, छबड़ा

To, Comp Baran/SP-1/ Dt - 30.05.18  
Divisional Forest Officer District Baran,

विषय :- Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500

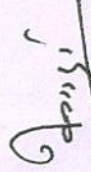
Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

| S.No. | EDS Raised/Shortcomings in the proposal                                                                                                                                    | Reply of EDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Details of alternative examined have not been given                                                                                                                        | प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है। तथा इस मार्ग के दांयी ओर छबड़ा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोद, पाली, फलिया फाटक होतु हुए धरनावदा पहुँचा जा सकता है। इसके लिये करीब 17 कि.मी. दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग में गणनानुसार वन भूमि 17.28 हेक्टर आएगी जो कि 13.56 हेक्टर से काफी अधिक है। संलग्न - इण्डेक्स मैप |
| 2     | Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided.                                                              | यद्यपि निर्माण कार्य 18 मी. चौड़ाई में किया गया है। किन्तु उक्त सड़क स्टेट हाईवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार Minimum road land width 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः मध्य की प्लानिंग, पौधारोपण व IRC की गाइड लाइन के अनुरूप 30 फीट की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है संलग्न IRC-73 की प्रति                                                                                                                                  |
| 3     | Required no objection certificate is not provided                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF . However area of vilocation has not been specified                          | दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारियों एवं वर्तमान पदस्थापन की सूचना तथा वर्क ऑर्डर की कॉपी एवं कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवमैन्ट की प्रति भी अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है ।                                                                                                                                                                                                   |
| 5     | Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It needs clarification | यद्यपि सड़क 1 लेन सड़क का निर्माण 1988 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सड़क का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सड़क का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।                                                                                                                                                                                                                                |
| 6     | As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined                                                              | DSS Analysis के अनुसार अनउपयुक्त भूमि जिसके अन्तर्गत प्लान्टेशन का कार्य नहीं होगा इसके अन्तर्गत अन्य बतायाानुसार वन भूमि में प्लान्टेशन कार्य कर दिया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       |

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड छबड़ा